न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 8746 / 2006 / नागौर

1– भंवरलाल पुत्र दीनाराम
2– भंवराराम पुत्र जोधाराम
3– जेठूडी बेवा रूडाराम
4– हनुमान पुत्र रूडाराम
5– मोरली पत्नि राजूराम
6– हुक्माराम पुत्र राजूराम
7– बिरदाराम पुत्र राजूराम
8– श्रवणराम पुत्र राजूराम
समस्त जाति रेगर, निवासी नावां, तहसील नावां, जिला नागौर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– बाबूलाल पुत्र बोदूराम, जाति रेगर, निवासी नावां, तहसील नावां, जिला अजमेर।
2– मोहनीदेवी पत्नि बोदूराम
3– ओमप्रकाश पुत्र बोदूराम
4– हरिराम पुत्र बोदूराम
5– मानमल पुत्र बोदूराम नाबालिग जरिये संरक्षक माता मु0 मोहनी देवी पत्नि बोदूराम
6– बागाराम पुत्र लादूराम
7– मोहनराम पुत्र दीनाराम
समस्त जाति रेगर, निवासी नावां, जिला नागौर।
8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नावां जिला नागौर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

उपस्थित :
श्री अशोकनाथ योगी, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1

दिनांकः 20–2–2025

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–6–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने विरूद्ध अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण व अन्य प्रत्यर्थीगण एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय उपखंड अधिकारी नावां के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें विवादित भूमि सरहद नावां के खसरा नम्बर 78 रकबा 5.32 हेक्टर तथा खसरा नम्बर 79 रकबा 1.60 हेक्टर पुराने खसरा नम्बर 38 से बने हैं। वादी जायन्दा पुत्र बोदूराम का है परंतु बालूराम ने वादी को बाल्यावस्था में अपनी धर्मपत्नी की सहमति से गोद ले लिया था। वादग्रस्त आराजी में 3/4 हिस्से पर वादी के पिता बालूराम का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा शेष हिस्से पर प्रतिवादीगण/अपीलांट्स व प्रतिवादीगण का कब्जा रहा है। राजकीय रिकॉर्ड में 1/4 हिस्सा बालूराम का दर्ज रहा है जो गलत है, इसलिए खसरा नंबर 78 रकबा 5.32 हैक्टर का वादी को तथा खसरा नम्बर 79 हेतु प्रत्यर्थी संख्या 6/प्रतिवादी संख्या 1 बागाराम को खातेदार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण का न्यायालय में उपस्थित न होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादी का वाद साबित न होना पाते हुये अपने निर्णय दिनांक 23–12–2005 एवं डिक्री दिनांक 23–1–2006 के द्वारा वादी बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी बाबूलाल ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर ने अपील दर्ज कर विपक्षीगण को सम्मन जारी किये तथा विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर एकतरफा बहस सुनकर साक्ष्यों, विधिक प्रावधानों तथा विचारण न्यायालय द्वारा किये गये सही विवेचन से परे जाते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19–6–2006 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 23–12–2005 निरस्त कर ग्राम नावां के खसरा नम्बर 78 का प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को तथा खसरा नम्बर 79 का प्रत्यर्थी संख्या 6/प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार घोषित कर दिया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 19–6–2006 से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

3— न्यायालय में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 द्वारा रजिस्टर एडी को लेने से इन्कार किया गया, जिस पर उनकी तामील मानी गई। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं मूल अपील पर सुनी गई।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपील में प्रस्तुत आधारों पर उनकी धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। वादी बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत खातेदारी घोषणा का वाद अपीलार्थीगण के अग्रज चौथूराम, मंगला तथा सुवालाल के साथ—साथ बागला एवं अपने तीनों भाई ओमप्रकाश, हरिराम, मानमल एवं माता मु0 मोहनी तथा राज्य सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादी ने स्वयं को बालूराम का गोदपुत्र बताते हुए वादग्रस्त आराजी में बालूराम का 3/4 हिस्सा होना एवं 1/4 हिस्सा लादूराम का होना वर्णित किया, जबकि वर्षो से राजस्व रिकार्ड में चौथूराम पुत्र बागाराम का 1/4 हिस्सा, मंगला पुत्र नन्दा का 1/4 हिस्सा, सुवालाल व बागला पुत्र लादूराम का 1/4 हिस्सा एवं बाबूलाल, ओमप्रकाश, हरिराम, मानमल पुत्रगण बोदूराम व मु0 मोहनी बेवा बोदूराम का 1/4 हिस्सा दर्ज है। अपील में चौथूराम व मंगला के परिवार का सजरा प्रस्तुत किया गया है। इन दोनों के उत्तराधिकारियों का वादग्रस्त भूमियों में 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होकर ये अपील में अपीलार्थीगण हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी बाबूलाल द्वारा भूमि में स्वयं का बालूराम का गोदीना पुत्र होकर उसका 3/4 हिस्सा होने का गलत तथ्य प्रस्तुत कर दावा प्रस्तुत किया गया है, जबकि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में उसके पिता बोदूराम का बालूराम का गोदपुत्र होना अंकित है। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों से वादी के क्लेम का साबित न होना पाये जाते हुए वाद सही प्रकार से खारिज किया गया था। विचारण न्यायालय का यह विवेचन उचित था कि नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण—पत्र विधिसम्मत ना होकर गोद उत्तराधिकार प्रमाण—पत्र जारी करने की विषयवस्तु सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अभिलेखीय साक्ष्यों व विधिक प्रावधानों से बाहर जाकर बिना आधार वादी बाबूलाल व प्रत्यर्थी संख्या 6/ प्रतिवादी संख्या 1 बागाराम के पक्ष में भूमि पर खातेदारी घोषणा के मुस्तहक होने का निष्कर्ष लिया गया है, जोकि निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष कि दावे में प्रतिवादीगण अनुपस्थित होने से वाद स्वीकारोक्ति की तारीफ में आता है, कतई उचित नहीं है। वस्तुतः वाद को वादी पक्ष द्वारा अपने साक्ष्यों से ही साबित करना होता है, जिसमें असफल रहने के कारण विचारण न्यायालय ने दावा साबित ना होने की बिना पर इसे खारिज करने का लिया गया विनिश्चय उचित व विधिसम्मत है। दावे में एडवर्स पजेशन व गोदपुत्र दोनों आधारों पर खातेदारी क्लेम प्रस्तुत

किया गया है जो कि परस्पर विरोधाभासी आधार हैं। एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी दी जाना विधिसम्मत भी नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे।

5— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को उचित बताते हुए अपील खारिज योग्य होना जाहिर किया। उनका तर्क है कि साक्ष्यों से बाबूलाल गोदपुत्र बालूराम का दावा बखूबी साबित था, लेकिन विचारण न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर त्रुटि की थी। मूल दावे में प्रतिवादीगण जो कि प्रथम अपील में रेस्पोडेंट थे, विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपील में उपस्थित नहीं हुए। यह तथ्य बाबूलाल की भूमि पर खातेदारी अधिकारों के क्लेम की अपरोक्ष रूप से ताईद करता है। अपील आधारहीन व मिथ्या होने के आधार पर खारिज योग्य है।

6— विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया तथा राजस्व रिकॉर्ड के साथ—साथ बाबूलाल का भूमि खसरा नंबर 78 पर एवं प्रत्यर्थी संख्या 6 बागाराम का खसरा नम्बर 79 पर खातेदारी अधिकार के क्लेम का विश्लेषण किया गया। अपील के तथ्यों एवं उभयपक्ष के अभिभाषकगणों द्वारा बहस में प्रस्तुत बिंदुओं पर मनन किया गया।

7— अपीलार्थीगण द्वारा विलम्ब से अपील पेश करने पर देरीना अवधि को क्षम्य कराने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके तथ्यों तथा विलम्ब के कारणों पर विचारण उपरांत हम प्रस्तुत आधार सद्भाविक होकर स्वीकार योग्य होना मानते हैं तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8— पत्रावली के अवलोकन अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थीगण का कुल 1/2 हिस्सा होकर 1/4 हिस्सा बोदूराम के वारिसान (प्रत्यर्थी संख्या 1 बाबूलाल सहित) व शेष 1/4 हिस्सा लादूराम के वारिसान का अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में बालूराम के पश्चात उसका हिस्सा उसकी पत्नी व बोदूराम गोदपुत्र बालूराम के स्वत्व में दर्ज हुआ। हांलाकि प्रत्यर्थी संख्या 1 मूल वाद में स्वयं को बालूराम का गोदपुत्र होना बताते हुए आया है, लेकिन दावे में पूर्व से दर्ज इंद्रजात को गलत बताने के समर्थन में उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पुष्ट एवं पर्याप्त होना नहीं माने जा सकते हैं। भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारों के दर्ज हिस्सों से इतर स्वयं बाबूलाल का 3/4 हिस्सा होना तथा शेष 1/4 हिस्सा दावे में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का बनने के समर्थन में निश्चय ही ऐसे मजबूत साक्ष्य नहीं थे जिनके

आधार पर प्रथम अपील में विचारण न्यायालय से अन्यथा निष्कर्ष निकाला जाकर अपील डिक्री योग्य मानी जाती। हमारा विवेचन है कि गोदीना पुत्र के आधार के समर्थन में विचारण न्यायालय द्वारा किया गया विवेचन विधिसम्मत है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा इस बिंदु पर लिया गया निष्कर्ष विधिक आधार पर त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आराजी नंबर 78 पर बाबूलाल को खातेदार घोषित करने के साथ–साथ आराजी नंबर 79 हेतु प्रत्यर्थी संख्या 6 को खातेदार घोषित करने के निष्कर्ष हेतु दावे में प्रस्तुत साक्ष्य अपर्याप्त थे, इस बिना पर उनका विनिश्चय उचित होना नहीं माना जा सकता।

9– विधि अनुसार वादी को अपने साक्ष्यों तथा विधिक पक्ष के आधार पर स्वयं ही अपना क्लेम साबित करना वांछित है। अतः अगर दावे में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हुई तो यह दावा साबित होने का एक आधार होना नहीं माना जा सकता। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति को वाद की स्वीकारोक्ति की तारीफ में माना गया है, जो कि हमारे मतानुसार एक त्रुटिपूर्ण निनिश्चय है। दावे में मुखालफाना कब्जा व गोदपुत्र दोनों आधारों पर क्लेम प्रस्तुत किया गया था। प्रथमतः तो उक्त दोनों आधारों में परस्पर विरोधाभास एवं उल्लेखनीय भिन्नता है। साथ ही अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा मुखालफाना कब्जे का साबित होने के समर्थन में साक्ष्यों का विस्तृत एवं ठोस विश्लेषण किया गया हो, ऐसा भी उनके निर्णय से परिलक्षित नहीं होता है।

10– उपरोक्त विवेचन अनुसार हस्तगत् अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–6–2006 को निरस्त किया जाकर उपखंड अधिकारी नावां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(हेमंत कुमार गेरा)
अध्यक्ष